188

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर (म.प्र.)

20 COURT FEE 20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी प्र.क्र............ / 16

5 कोर्ट फ़ीस COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निग - 1802 - 16

1—मुन्नालाल तनय स्व.रामानुज त्रिपाठी

2—कोदू प्रसाद तनय स्व.रामानुज त्रिपाठी

3—रामशिरोमणि तनय स्व.रामानुज त्रिपाठी

सभी निवासी ग्राम कलबलिया तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.................... निगराकारगण

दिनांक 6-6-16 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत ... 6-6-16

बनाम

1—रामविश्वास तनय राममिलन त्रिपाठी

2—भोला प्रसाद तनय राममिलन त्रिपाठी जरिये पत्नी विट्टी देवी तिवारी

3—गोकुल प्रसाद तनय राममिलन त्रिपाठी

4—अरूण कुमार तनय रामविश्वास त्रिपाठी

5—यमुना प्रसाद तनय रामदेव ब्रा.

6—भोला प्रसाद तनय राजरूप

7—राजाभइया तनय रामावतार

8—नरेन्द्र कुमार तनय अनुसुइया प्रसाद

9—रामलाल तनय रामनाथ

10—छेदीलाल तनय जयनारायण

11—राजधर तनय जयनारायण

.....2

सभी निवासी ग्राम कलबलिया तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र........................ **गैरनिगराकारगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा—50 म.प्र. भू.रा.संहिता विरूद्ध प्रत्यावर्तन आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मझगंवा जिला सतना म.प्र.दिनांक 18.04.16 जरिये रा. अपी.प्र.कं./161/अपी./05—06

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकारगण निम्नलिखित आधार पर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनयी है:—

संक्षिप्त तथ्य

निगराकारगण एवं गैरनिगराकार कं.1 लगायत 3 के मध्य निगरानी न्यायालय में घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत व्यवहार वाद कं.27ए/1990 में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.11.2001 के आधार पर जिन आराजियात के संबंध में राजीनामा का आदेश पारित किया गया था उसके संबंध में निगराकारगण द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त प्रभारी बिरसिंहपुर के न्यायालय में अपने नाम नामान्तरण प्रमाणित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, तहसीलदार वृत्त बिरसिंहपुर द्वारा रा.प्र. कं.12अ6/2002—03 में आदेश दिनांक 03.09.2003 को पारित करते हुये अन्य आराजियात के साथ आराजी नं.88 रकवा 0. 44ए ग्राम कलबलिया का भी नामान्तरण गैरनिगराकार कं.1 ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

1802

निगरानी 1820-दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-09-2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मझगंवा जिला सतना के प्रकरण कमांक 161/अपील/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 18-4-16 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध दिनांक 18-4-16 को अंतिम आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध संहिता के प्रावधान अनुसार धारा 44(2) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	